

बिहार सरकार  
विधि विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

का०आ०सं०-बी०/मु०स्था०-०१-०७/२००६/१३७/जे०, पटना, दिनांक-२५.११.२०१४

विधि विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, श्री मनोज कुमार को निम्नरूपेण कार्य यथा-विधायी, न्याय, स्थापना एवं अन्य कार्यों का आवंटित किया जाता है:-


1. रिहाई के विरुद्ध अपील,
2. केसों की वापसी,
3. विधान/न्याय शाखा एवं बजट शाखा के प्रभारी,
4. उच्चतम न्यायालय से संबंधित अधिवक्ताओं की नियुक्ति, उनके शुल्क का निर्धारण।
5. जयघोष की राशि की स्वीकृति।
6. उच्च न्यायालय एवं निम्न न्यायालयों की स्थापना से संबंधित सभी कार्य (अग्रिम को छोड़कर)
7. नोटरी से संबंधित सभी कार्य,
8. नये न्यायालयों/न्यायालय भवनों एवं पदों का सृजन संबंधी कार्य।
9. अन्यान्य कार्य सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्य।

2. उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं से संबंधित शुल्क विपत्र प्रशाखा से संबंधित अवर सचिव/उप सचिव के माध्यम से संयुक्त सचिव को उपस्थापित किये जायेंगे। संयुक्त सचिव संचिका में आवश्यकतानुसार सचिव का आदेश प्राप्त करेंगे।
3. विधान शाखा से संबंधित सभी कार्य संयुक्त सचिव (प्रभारी विधान शाखा) को उपस्थापित किये जायेंगे एवं संयुक्त सचिव आवश्यकतानुसार संचिका में सचिव का आदेश प्राप्त करेंगे।
4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह०/-अखिलेश कुमार जैन  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०-.....<sup>7956</sup>/जे०, पटना, दिनांक-.....<sup>१६-११-१४</sup>.....

प्रतिलिपि:-सभी पदाधिकारियों/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, पटना/अवर सचिव (स्थापना), विधि विभाग, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना तथा आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।  
२५/११/१४